रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 1983/आश्विन 28, 1905
No. 411] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 1983/ASVINA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1983

सा. का. नि. 796 (अ)/आ.व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी (1982-83 में उत्पादित चीनी कीमत असाधारण) आदेश, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (1982-83 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1983 है ।

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 411] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 1983/आश्विन 28, 1905
No. 411] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 1983/ASVINA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1983

सा. का. नि. 796 (अ)/आ.व./चीनी.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चीनी (1982-83 में उत्पादित चीनी कीमत असाधारण) आदेश, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम चीनी (1982-83 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) दूसरा संशोधन आदेश, 1983 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. चीनी (1982-83 में उत्पादित चीनी कीमत अवधारण) आदेश*, 1983 में,—

अनुसूची 5 में, "उत्तर प्रदेश (मध्य)" शीर्षक के नीचे, क्रम सं. 29 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"30 मै. दि. किसान सहकारी चीनी मिल्स लि. महमूदाबाद (अवध), जिला सीतापुर" ।

[सं. 2-10/82-एस. पी. बाई डी-2]

एन. आर. बनर्जी, संयुक्त सचिव (चीनी)

*भा. का. नि. 40(अ)/आ. व./चीनी, तारीख 27 जनवरी, 1983 ।

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 20th October, 1983

G.S.R. 796(E)|Ess. Com.|Sugar.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3C) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following order further to amend the sugar (Price Determination for 1982-83 Production) Order, 1983, namely :—

1. (1) This order may be called the Sugar (Price Determination for 1982-83 Production) Second Amendment Order, 1983.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugar (Price Determination for 1982-83 Production)* Order, 1983,—

*G.S.R. 40(E)|Ess. Com.|Sugar, dated 27-1-1983

In Schedule V, under the heading "Uttar Pradesh (Central)", after serial number 29 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely :—

"30. M|s. The Kisan Sahkari Chini Mills Ltd., Mahmudabad (Oudh), District Sitapur."

[No. 2-10|82-SPY(D-II)]

N. R. BANERJI, Jt. Secy. (Sugar)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983